राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2490/2016

नरेन्द्र कुमार राठौड़ –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 05.08.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि दिनांक 01.06.2002 के पश्चात अपीलार्थी के 2 से अधिक संतानें होने के कारण अपीलार्थी को 5 वर्ष पश्चात एसीपी स्वीकृत की गई है। इस प्रकार अपीलार्थी को एसीपी का लाभ 5 वर्ष पश्चात दिनांक 01.07.2013 से प्रदान किया गया, जिसके संबंध में आदेश दिनांक 11.01.2016 पारित किया गया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को जो 9 वर्षीय एसीपी दिनांक 01.07.2013 से स्वीकृत की गई थी, उसमें संसोधन करते हुए अपीलार्थी को एसीपी की देय तिथि 01.07.2013 के स्थान पर 06.10.2015 की गई, जिस संबंध में आदेश दिनांक 28.03.2016 जारी किया गया। उक्त आदेश दिनांक 28.03.2016 के संबंध में पुनः आदेश दिनांक 23.08.2016 को जारी किया गया, जिसमें 18 वर्षीय एसीपी के स्थान पर 9 वर्षीय एसीपी पढ़े जाने का आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को जो 9 वर्षीय एसीपी का लाभ 5 वर्ष पश्चात दिनांक 01.07.2013 को दिया गया था, उसे भी आगे बढ़ाते हुए एसीपी की देय दिनांक 06.10.2015 की गई। अपीलार्थी ने उक्त आदेश को इस अपील में चुनौती दी है। उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 28.03.2016 के आधार पर अपीलार्थी से वसुली किये जाने का आदेश भी दिया गया। इस अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 06.10.2016 पारित कर अपीलार्थी के संबंध में वसुली की कार्यवाही स्थगित रखे जाने के आदेश दिये गये थे। अपीलार्थी के अधिवक्ता

का तर्क है कि दिनांक 06.10.2015 के द्वारा राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा मेमोरेण्डम जारी किया गया, जिसमें यह प्रावधान रखा गया है कि किसी भी कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतानें हैं तो ऐसे काार्मिकों को एसीपी की देय दिनांक से 5 वर्ष बाद एसीपी प्रदान की जाये। इस आधार पर अपीलाार्थी को 9 वर्षीय एसीपी का लाभ 5 वर्ष पश्चात 01.07.2013 से दिया था। बाद में एसीपी देय दिनांक में संसोधन करते हुए दिनांक 01.07.2013 के स्थान पर दिनांक 06.10.2015 किया गया, जो गलत है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब से प्रकट होता है कि दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् अपीलार्थी के तीन संतान होने पर अपीलार्थी को किसी प्रकार की ए.सी.पी. लाभ प्राप्ति करने का कोई अधिकार नहीं था। नोटिफिकेशन 20.06.2001 के द्वारा मात्र पदौन्नति में 5 वर्ष की छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया, जिसमें ए.सी.पी. देय किये जाने के संबंध में कोई अंकन नही है। अपील में दिनांक 23.08.2016 के आदेश को चुनौती दी गई जो आक्षेपित आदेश न होकर टाईपिकल एरर/त्रुटि को सुधार कर 18 वर्ष के स्थान पर 9 वर्ष पढे जाने से संबधित है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 06.10.2015 में स्पष्ठ अंकन किया गया है कि कार्मिक को देय ए.सी.पी. का लाभ उक्त तिथी से ही मान्य होगें, जिसके कारण कर्यालय द्वारा संशोधित आदेश दिनांक 28.03.2016 के द्वारा आदेश जारी कर दिनांक 06.10.2015 से लाभ दिया जाकर पूर्व मे जारी आदेश दिनांक 21.12.2015 को अपास्त कर अधिक भुगतान की रिकवरी हैतु निर्देशित किया गया है, क्योंकि दो संतान से अधिक संतान वाले कार्मिकों को ए.सी.पी. का लाभ आदेश दिनांक 06.10.2015 से प्रभावी हुए है। उक्तानुसार जारी आदेश दिनांक 28.03.2016 तथा टाईपिकल एरर/त्रुटि संबधित आदेश दिनांक 23.08.2016 पुर्णतया विधि सम्मत होने से अपीलार्थी की उक्त अपील काबिल निरस्त योग्य है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा मेमोरेण्डम दिनांक 06.10.2015 जारी कर यह प्रावधान किया गया है कि जिन कार्मिकों के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान हुई हैं, उन्हें एसीपी देय दिनांक से पांच वर्ष बाद दी जाएगी। उक्त मेमोरेण्डम दिनांक 06.10.2015 में यह भी प्रावधान है कि उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा। अतः स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 06.10.2015 के पूर्व जो दो से अधिक संतान होने पर पूर्व में लाभ देय नहीं था, उन्हें पांच वर्ष बाद लाभ दिये जाने का प्रावधान दिनांक 06.10.2015 को लागू हुआ है। दिनांक 06.10.2015 के प्रावधान को भूतलक्षी प्रभाव से नहीं देखा जा

सकता है। प्रावधान के तहत जो लाभ किसी कार्मिक को प्राप्त होने हैं, वो दिनांक 06.10.2015 से ही दिये जा सकते हैं। अतः अपीलार्थी के संबंध में जो संसोधन कर एसीपी की देय दिनांक 06.10.2015 लागू की गई है, उसमें हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)